



दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लि०
(राजस्थान सरकार का संस्थान)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर 302005
फोन-0141-2227267, फैक्स-0141-5115766,
वैबसाइट: www. rajsico.gov.in webmail, E-mail-rajsico@rajasthan.gov.in
CIN:- U91110RJ1961SGC001118

निविदा शुल्क राशि 200/-

निविदा-प्रपत्र

राजस्थली मॉल, अजमेरी गेट, एम0आई0रोड, जयपुर में पार्किंग स्टेण्ड (स्कूटर/मोटर साईकिल/कार/जीप आदि) के संचालन हेतु निविदा प्रपत्र।

1- ठेकेदार/फर्म का नाम एवं पूर्ण पता:-.....

.....
.....

2- खुली निविदा सूचना क्रमांक.....दिनांक.....

3- निविदा शुल्क राशि 200/- जमा कराने का विवरण +- रसीद सं.....दिनांक.....

4- निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 28-09-2015 एवं समय दोपहर 1.00 बजे तक निविदा खोले जाने की दिनांक 28-09-2015 सांय 3.00 बजे।

5- अमानत राशि रू० 10,000/- जमा कराने का विवरण:-

बैंकर चैक/डीडी/नकद जमा रसीद संख्या.....दिनांक.....राशि रूपये

6- ठेका अवधि:- निविदा स्वीकृत दिनांक से दो वर्ष तक

7- ठेका संचालन की एवज में एक दो की अवधि के लिए एक मुश्त अग्रिम भुगतान की जाने वाली प्रस्तावित राशि अंको में.....शब्दों में.....

(नोट:- प्रस्तावित/अनुमोदित ठेका राशि पर नियमानुसार टी0सी0एस0राशि अलग से जमा करानी होगी)

मुझे इस ठेके से सम्बन्धित निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र व इसके साथ संलग्न समस्त शर्तें मंजूर हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता

निविदादाता का नाम.....

पूर्ण पता.....

.....

.....फोन /मो. नं.....

राजस्थली, हैण्डीकाफ्टस मॉल में स्थित कार/स्कूटर/स्टेण्ड रख रखाव सम्बन्धी अनुबन्ध की निविदादाता हेतु विस्तृत शर्तें

- 1— निविदादाता को राजस्थली, हैण्डीकाफ्टस माल, जयपुर परिसर में बने पार्किंग स्टेण्ड पर वाहनो को रखने हेतु समुचित व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी।
- 2— उक्त पार्किंग स्टेण्ड में स्थित कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारी की निजी साईकिल/स्कूटर/मोटर साईकिल व कार की सुरक्षा के लिए पृथक से कोई शुल्क निविदादाता द्वारा प्राप्त नहीं किया जावेगा।
- 3— निविदादाता आगन्तुकों के वाहनों से निम्न दर प्राप्त कर सकता है:—

क्र.सं.	वाहन का प्रकार	दर प्रति विजिट(प्रथम 2 घण्टे तक)	दर 2 घण्टे से अधिक(प्रतिदिन)
1.	दुपहिया वाहन (स्कूटर/मोपेड/मोटर साईकिल)	रु0 10.00 (दस रूपये)	रु0 10.00 (दस रूपये)
2.	चार पहिया वाहन (कार/जीप)	रु0 20.00 (बीस रूपये)	रु0 30.00(तीस रूपये)
3.	चार पहिया वाहन	मासिक पास	रु0 700.00 (सात सौ रूपये)

- 4— ऐसे आगन्तुक जो राजस्थली, हैण्डीकाफ्टस माल में नियमित रूप से आते जाते हैं जिसका सत्यापन प्रबन्धक, राजस्थली, हैण्डीकाफ्टस माल विभाग द्वारा किया जायेगा उन्हें निविदादाता द्वारा मासिक पास बनाने की सुविधा देय होगी जिसकी मासिक दर इस प्रकार होगी:—

- अ— मोटर साईकिल, स्कूटर मोपेड — 90.00 रूपये
ब— कार — 150.00 रूपये

- 5— पार्किंग स्टेण्ड का समय प्रातः 9.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक होगा। रात्रि 10.00 बजे पश्चात यदि कोई वाहन स्टेण्ड से प्राप्त नहीं किया जाता है तो उसे सुरक्षा कर्मियों को सुपुर्द करने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी, ऐसी दशा में आगन्तुकों से निर्धारित दर का दुगुना शुल्क वसूल किया जा सकेगा।
- 6— अनुबन्ध की अवधि दो वर्ष की होगी जिसे एक वर्ष के लिए आपसी सहमति से और बढ़ाया जा सकेगा। इस अवधि के दौरान कार्य असन्तोषजनक रहने पर अनुबन्ध कभी भी समाप्त किया जा सकता है। अनुबन्ध समाप्त करने की स्थिति में प्रतिभूति राशि जब्त करली जायेगी यदि निविदादाता स्वेच्छा से ठेका छोड़ना चाहे तो उसकी सूचना एक माह पूर्व इंचार्ज, राजस्थली, हैण्डीकाफ्टस मॉल को देनी होगी। अनुबन्ध पत्र स्टाम्प शुल्क का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जावेगा।
- 7— स्टेण्ड पर, मोटर साईकिल, स्कूटर आदि वाहन रखने के बाद यह वाहन गुम/चोरी हो जाता है तो जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। विवाद के निपटाने हेतु प्रबन्ध निदेशक अथवा उसके द्वारा नियुक्त अन्य अधिकारी का निर्णय मान्य होगा, निर्णय के तहत 15 दिवस में समबन्धित को हर्जाना चुकाने के लिए ठेकेदार को प्रबन्ध करना होगा, चुकारा न होने की अवस्था में क्षतिपूर्ति हेतु सम्पूर्ण प्रतिभूति अथवा उसका अंश प्राप्त करने का राजस्थली, हैण्डीकाफ्टस माल को स्वतंत्र अधिकार होगा।

- 8— ठेकेदार द्वारा टोकन सुविधा दी जावेगी जिसमें राजस्थली, हैण्डीकाफ्टस माल, जयपुर का नाम व क्रमवार नम्बर होंगे। ठेकेदार द्वारा बोर्ड पर शुल्क दरें उल्लेखित करनी होंगी।
- 9— ठेकेदार को कम से कम तीन या अधिक व्यक्तियों को पार्किंग व्यवस्था हेतु राजस्थान हैण्डीकाफ्टस माल भवन परिसर में लगाना अनिवार्य होगा। ठेकेदार एवं इसके कर्मचारी तथा इसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को राजस्थली, हैण्डीकाफ्टस माल साईकिल स्टेण्ड जयपुर का नाम सहित बेज धारण करना होगा।
- 10— आगन्तुको द्वारा वाहन साईकिल स्टेण्ड से अन्यत्र खड़ी किये जाने की स्थिति में वाहन उठाने व इसका शुल्क वसूल करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
- 11— ठेकेदार द्वारा पत्र व्यवहार पता उल्लिखित करना होगा, इसमें कोई परिवर्तन होने पर ठेकेदार लिखित में प्रबन्धक राजस्थली, हैण्डीकाफ्टस माल को सूचित करेगा।
- 12— ठेकेदार को ठेका लेते वक्त दो जिम्मेदार व्यक्तियों की जमानत दिलवानी होगी।
- 13— राजस्थली, हैण्डीकाफ्टस माल में अलग-अलग प्रकार के वाहनों के लिए अलग-अलग स्टेण्ड होंगे। निर्देशित स्थान पर पार्किंग बोर्ड ठेकेदार द्वारा संस्था से अनुमोदित कराकर लगाये जायेंगे। दीवारों आदि पर पोस्टर लिखना वर्जित होगा।
- 14— निविदादाता को निविदा प्रस्तुत करने के बाद अपनी निविदा को वापिस लेने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- 15— निविदादाता को अमानत राशि के रूप में राशि 10,000/- का डीडी/बैंकर चैक जो दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि0, जयपुर के पक्ष में देय हो निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है बिना अमानत राशि के प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। अमानत राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- 16— प्रबन्ध निदेशक को किसी भी निविदा को बिना कारण बतलायें अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- 17— सफल निविदादाता को ठेका स्वीकृति के एक सप्ताह की अवधि में ₹0 100 ₹0 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा जिस पर होने वाला समस्त व्यय ठेकेदार द्वारा वहन किया जावेगा।
- 18— अनुमोदित ठेकेदार द्वारा पार्किंग स्टेण्ड का संचालन स्वयं को करना होगा, वह इसका उप ठेका अन्य किसी संस्था/व्यक्ति को नहीं दे सकेगा। यदि ठेके की अवधि में ठेकेदार द्वारा पार्किंग संचालन का उप ठेका किसी अन्य को देना पाया गया तो ठेका निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि जब्त करली जावेगी।
- 19— ठेकेदार को अनुबन्ध के साथ स्टेण्ड पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की सूची उनके पासपोर्ट साईज फोटो सहित प्रस्तुत करनी होगी। स्टेण्ड पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के आचरण एवं उसके द्वारा किये गये कार्य के लिए पूर्ण रूप से ठेकेदार जिम्मेदार होगा तथा स्टेण्ड पर कार्य करने वाले कर्मचारियों का पुलिस वैरीफिकेशन कराने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। स्टेण्ड पर कार्यरत कर्मचारियों को ठेकेदार द्वारा स्वयं के खर्च पर पहचान पत्र बनवाकर उपलब्ध कराने होंगे।

- 20— पार्किंग स्थल पर लगे हुये कीमती सामन ,लाईटें, आदि की सुरक्षा व रखरखाव की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा ठेका छोडने पर उक्त सामान को सही हालत में प्रबन्धक,राजस्थली,जयपुर को सम्भलवाने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
- 21— पार्किंग स्टेण्ड पर उपभोग होने वाली बिजली का खर्चा ठेकेदार स्वयं को वहन करना होगा जिसके लिए ठेकेदार को अलग से सब मीटर स्वयं के खर्चे पर लगवाना होगा।
- 22— पार्किंग स्थल की सफाई व्यवस्था ठेकेदार स्वयं को करनी होगी यदि प्रबन्धक,राजस्थली,जयपुर द्वारा सफाई व्यवस्था करायी जाती है तो उस पर होने वाले व्यय का भुगतान प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में ठेकेदार राजस्थली में जमा करायेगा। पार्किंग स्थल पर ठेकेदार द्वारा सफाई व्यवस्था बनाये रखने हेतु कचरा पात्र रखना होगा।
- 23—ठेका अवधि के दौरान ठेकेदार को होने वाली किसी भी क्षति की पूर्ति करने का दायित्व दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि0,जयपुर का नहीं होगा।

टिप्पणी:—निविदादाता को निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व क्रम संख्या 01 से 23 तक वर्णित शर्तों का सावधानी से अध्ययन करना चाहिये तथा सूचना में वर्णित शर्तों के बारे में शंका होने की स्थिति में प्रबन्ध निदेशक से उस सम्बन्ध में वांछित स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेना चाहिए। इस बारे में प्रबन्ध निदेशक द्वारा की गई व्याख्या एवं इस संबंध में लिया गया निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

कम्पनी सचिव(सा0प्र0)
दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि0,
जयपुर

मैंने/हमने उपरोक्त सभी शर्तों का ध्यानापूर्वक अध्ययन कर लिया है तथा मैं/हम सभी शर्तों को मानने के लिए अपनी सहमति प्रदान करता हूँ/करते हैं तथा प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता
नाम एवं पता:—

वित्तीय बिड

उपरोक्त निविदा से संबंधित शर्तें मैंने/हमने पढली है और यह शर्तें मुझे/हमें स्वीकार है। अतः राजस्थली, हैण्डीक्राफ्टस माल,जयपुर के पार्किंग स्टैण्ड के लिए निम्न प्रकार निविदा प्रस्तुत है:—

पार्किंग हेतु राशि रू0.....प्रतिमाह निगम को देय होगी।

हस्ताक्षर निविदादाता
मय संस्था/फर्म की मोहर
टेलीफोन नं.